न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अवमानना प्रकरण संख्या 04/2024

1. धीरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री राधा कृष्ण उर्फ देवी नन्दन शर्मा जाति ब्रहाम्ण निवासी खेत्रपाल मन्दिर के पिछे वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. वन्दना गौड पत्नी श्री राहुल शर्मा,पुत्री श्रीमती कलावती देवी & श्री ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 21 पूजा कॉलोनी, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

परिवाद: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी.

उपस्थित : 1. श्री राजेश भारत, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: आदेश ::

दिनांक : 27.02.2026

परिवाद कार्यवाही अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी. के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

आपके समक्ष विचारण में आए एवं निर्णित हुए प्रकरण शीर्षक वन्दना गौड़ बनाम अजयपाल आदि अपील प्रकरण संख्या 47/2019 निर्णय दिनांक 31.05.2024 , अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम में अपीलार्थी वन्दना गौड ने न्यायिक कार्यवाही के प्रक्रम में मिथ्या कथन लिखित प्रस्तुत किए है। शपथ पत्र में सत्य कथन लिखवाने की शपथ लेने उपरान्त भी गलत व मिथ्या कथन प्रस्तुत करने का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी. सी. कार्यवाही के योग्य है। अपीलार्थी के विधि सम्मत् दस्तावेज , राज्य एजेन्सी की पहल/भागीदारी से सृजित रिकॉर्ड तथा अन्य साक्ष्य उपलब्ध है जो स्वतः मुहँ बोलते है (रिस इप्सा लोक्यूटर)। क्रमवार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मिथ्या कथन निम्नलिखित किए गए जिनका सत्य उनके आगे अंकित है तथा साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजात सलंग्न किए है जो कि निम्नप्रकार से है:–

1. **मिथ्या कथन (अपील के बिन्दु कम्र संख्या 1 पृष्ट संख्या–3)** यह कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर पारित किया गया है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सत्यः– वसीयतकर्ता द्वारा स्वयं वसीयत रची गई है एवं इन्तकाल हेतु अधीनस्त न्यायालय में पेश हुई है तथा उसी के आधार पर अधीनस्त न्यायालय ने आगे के प्रकम विधि सम्मत रूप से संचालित कर निर्णय पारित किया है। अतः निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत व प्राकृतिक न्याय सम्मत है।

2. मिथ्या कथन (अपील के बिन्दु कम संख्या 2 पृष्ट संख्या–3) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन के किसी भी वारिस को नोटिस जारी नहीं किये और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया।

सत्यः– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अजयपाल एवं धीरेन्द्र कुमार के अतिरिक्त राधाकृष्ण उर्फ देवकीनन्दन के सभी वारिसान मय अपीलार्थी वन्दना गौड़ की माता जिनकी मौत होने पर उनके स्थान पर उनके तीनों वारिस अर्थात स्वयं अपीलार्थी वन्दना गौड़ एवं उसके दोनो भाई विक्रम व विजय कोर्ट में आए और कार्ट द्वारा उन सभी को सुना गया जिसमें उन सभी ने प्रार्थी अजयपाल एवं धीरेन्द्र कुमार के पक्ष में इन्तकाल दर्ज करने पर अनापत्ति जाहिर की। सभी नोटिस , रिपोर्ट तलबी, और कार्ट में उन सभी द्वारा प्रकट/दर्ज अनापत्ति की प्रमाणित रिकॉर्ड प्रति उपस्थित है जो संलग्न कर पेश है।

3. मिथ्या कथन (अपील के बिन्दु कम संख्या 2 पृष्ट संख्या–3) यह कि राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन की पुत्री कलावती देवी की मृत्यु दिनांक 12.06.2008 को हो चुकी थी जिन तथ्यों का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को भली भांति ज्ञान था, परन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा मृतक कलावती देवी के वारिसान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा ना ही वारिसान को कोई नोटिस जारी किये गये।

सत्यः– कलावती देवी को जारी नोटिस उनके पति श्री ओमप्रकाश द्वारा प्राप्त कर हस्ताक्षर किए गए एवं कलावती देवी के वारिसान स्वयं अपीलार्थी वन्दना गौड और उनके दोनो भाई विक्रम व विजय अपने पिता से उक्त सूचना पाकर स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी सुनवाई हुई थी तथा उन्होने अधीनस्थ न्यायालय में अपना संयुक्त शपथ पत्र पेश किया था जिस आधार पर उनकी अनापित्त दर्ज की गई जो दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है।

4. मिथ्या कथन (अपील के बिन्दु कम संख्या 4 पृष्ट संख्या–4) यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने जालसाजी कर कलावती देवी के वारिसान अर्थात् अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर आदेश पारित करवा लिया।

सत्यः– अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने हस्ताक्षर किए गए, जिसके साक्षी नोटेरी पब्लिक श्री अनिल कालड़ा सहित अन्य है। वन्दना गौड बेहद शातिर किस्म की महिला है

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जिन्होने अपने हस्ताक्षर वक्त/वक्त पर कैल्युकेट तरीके से बदले है। उक्त अपील में तथा पूर्वकाल के अन्य दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षरों की भाषा व लिपी में भिन्नता देखी गई है। कुछ प्रमाणित प्रतियां सलंग्न कर प्रस्तुत है। कलावती के अन्य दोनों वारिसों विक्रम व विजय ने भी स्वयं संयुक्त शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर पेश किए तथा इस पर कभी आपत्ति नहीं की और पुलिस व न्यायालय में इसे स्वीकार किया।

5. **मिथ्या कथन (अपील के बिन्दु कम संख्या 5 पृष्ट संख्या–4)** यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन की फर्जी वसीयत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी , जबकि राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन ने वसीयत करने के लिए स्वस्थचित था।
सत्यः– राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन ने स्वस्थचित स्थिति में बिना किसी दवाब व बिना किसी नशा किए स्वयं ने रची थी तथा सब रजिस्ट्रार श्रीगंगानगर से पंजीकृत करवाई थी पूर्णतया विधि सम्मत् एवं विवाद रहित है, जिसकी प्रतिलिपि प्रमाणित सलंग्न है।

6. **मिथ्या कथन (अपील के बिन्दु कम संख्या 6 पृष्ट संख्या–4)** यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो वसीयत की जांच की गई और ना ही कथित वसीयत के गवाहान को तलब कर वसीयत की सत्यता के सम्बन्ध में उनकी साक्ष्य जांच करवाई गई जबकि वसीयत को साबित करने के लिए गवाहान को साक्ष्य के लिए तलब किया जाना न्यायोचित था।
सत्यः– न्यायालय को उक्त वर्णित वसीयत के प्रथम दृष्टया ही एवं वाद की विचारण प्रकिया के प्रक्रमों में किसी भी वारिस (मय वन्दना गौड़) ने उक्त वसीयत को प्रश्नगत नहीं करने के चलते घटनाक्रमों से अधीनस्थ न्यायालय की दृष्टी इसे विधि सम्मत् और निर्विवादित दस्तावेज होने के अवाधारण पर पहुॅची हुई थी जो दृष्टी , दृष्टीकोण व मान्यता जॉच के समकक्ष प्रक्रिया थी और उक्त वसीयत स्वतः साबित थी। यह वसीयत शंका रहित होने के चलते स्वयं साबित थी। ज्ञातव्य है कि वसीयत पर किसी वारिस के आपत्ति करने पर ही किसी जॉच हेतु साक्ष्य की प्रक्रम उपतजी है। अतः उक्त कथन बेबुनियाद है।

7. **मिथ्या कथन (अपील के बिन्दु कम संख्या 8 पृष्ट संख्या–4)** यह कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया।
सत्यः– उक्त अपीलांट वन्दना गौड ने स्वयं उपस्थित आकर अपने भाईयों के साथ संयुक्त शपथ–पत्र विषय–वस्तु इन्तकाल दर्ज होने की प्रक्रिया पर अनापत्ति प्रस्तुत की थी, जो दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रमाणित प्रति सलंग्न कर प्रस्तुत है। इसे बाद में पुलिस से बातचीत/पंचायती में स्वयं अपीलांट वन्दना गौड़ एवं उनके भाई ने स्वीकार भी किया है जिसकी रिकार्डिंग सीडी व संवाद लिखित प्रस्तुत है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

8. मिथ्या कथन (अपील के बिन्दु क्रम संख्या 9 पृष्ठ संख्या–4) क्रम संख्या 9 में लिखा है कि अपीलांट को पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2012 की जानकारी नहीं थी।

सत्यः– अपीलांट को पूर्व से ही जानकारी थी। इस जानकारी को तारीख 08.02.2019 को पुलिस व पंचायत के समक्ष स्वीकार किया गया था। इत्तफाक दर्ज होने उपरान्त मुझे यानि (धीरेन्द्र कुमार शर्मा) व मेरे भाई अजयपाल को मालिकी वाली "यही सम्पति है"। इसी कृषि भूमि में से स्वयं वन्दना गौड़ ने भूमि/भूखण्ड खरीद का सौदा मेरे भाई अजयपाल के साथ किया, जिसका इकरारनामा/साईनामा लिखित नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पर रचा गया एवं नोटेरी श्री अनिल कालड़ा से अटेस्टेड करवाया था। इसी वसीयत व इत्तफाक से मिली कृषि भूमि को अपीलांट के भाई विक्रम द्वारा अजयपाल के फर्जी हस्ताक्षर कर 11 बार बेचा गया है, जिसका भण्डा–फोड होने पर बचाव में सक्रिय हुई। अपीलांट वन्दना गौड़ द्वारा दिनांक 08.02.2019 को ही पुलिस व धोखे से ठगे गए लोगों और पंचायती वार्ताकारों के समक्ष इत्तफाक हमारे यानी धीरेन्द्र कुमार और अजयपाल के नाम होने की यह जानकारी होना स्वीकार किया गया जबकि मिथ्या कथनों पर आधारित विषयवस्तु अपील तो दिनांक 29.11.2019 को पेश की गई है। यह स्वीकृति रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी सुरक्षित है। रिकॉर्डिंग सीडी, रिक्रप्ट लिखित सलंग्न कर प्रस्तुत है एवं गवाह मौजूद है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण 47/2019 की अपीलांट वन्दना गौड़ द्वारा फर्जी तरीके से मेरे भाई अजयपाल की उक्त जमीन को 11 बार फर्जी तरीके से बेचने के बदले ठगी किए रूपयों को लौटाने के करार/बादा शिकार बनाए लोगों से, हमसे और पंचायती वार्ताकारों से व पुलिस से करके, वक्त लेने और वह पैसा नहीं लौटाने अर्थात हडपने के तथ्य को छिपाया गया है। इस हेतु एक मामले में उनके भाई विक्रम गौड़ का चालान किया जा चुका है तथा दूसरे मामले में चालान प्रक्रिया जारी है। इन्हीं रूपयों 70,00,000/–रूपये (अखरे सत्तर लाख रूपये) से अधिक की इन्ही देनदारियों से और फौजदारी मुकदमों से बचने के लिए वन्दना गौड़ द्वारा झूठी अपील लाई गई थी। इस अपील के तीन तकनीकी तथ्यों ,कलावती की पुत्री होने और अन्य तथ्य बहस में कहने आदि के अलावा सभी 8 कथन पूर्णतया मिथ्या है और इस अदालत को गुमराह करने के दुराशय से रचे गये है।

आपके न्यायालय में प्रकरण संख्या 47/2019 की अपीलांट –वन्दना गौड़ के मिथ्या कथनों की तरह उनकी अन्य मिथ्या कारगुजारियां व तथ्य बहस के दौरान उभारे जाएँगें। अतः न्यायालय से निवेदन है कि उपरोक्त मिथ्या तथ्यों के मध्य नजर

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

वंदना गौड़ के विरूद्व अन्तर्गत धारा 340 सीआरपीसी की कार्यवाही प्रारम्भ कर न्यायहित को आगे बढाया जाए।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । बहस सुनी गई।

लिखित बहस अप्रार्थीया वन्दना गौड़ की ओर से निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:--

1. यह कि उपरोक्त अनवान का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 जाब्ता फौजदारी के तहत धीरेन्द्र कुमार द्वारा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीया वन्दना गौड़ द्वारा एक अपील अनवानी वन्दना गौड़ बनाम अजयपाल सिंह, प्रकरण संख्या 47/2019 आदेश दिनांकित 31.05.2024 अन्तर्गत धारा 75, भू–राजस्व अधिनियम के तहत श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश की थी जिसमें वन्दना गौड़ द्वारा मिथ्या कथन प्रस्तुत किए गए है और शपथ पत्र में सत्य कथन लिखने की शपथ लेने के उपरान्त भी उनके द्वारा गलत कथन प्रस्तुत करने के कारण धारा 340, सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की जावें। यह कार्यवाही निम्न आधारों पर पोषणीय नहीं है:–

(i) प्रथम तो अपील में किसी प्रकार के कोई मिथ्या कथन नहीं किए गए, क्योंकि अपील में जो तथ्य अंकित किए गए है, वह पूर्व की दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर है और धारा 340 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही मात्र धारा 195, आई.पी.सी. के तहत इन तथ्यों के आधार पर की जा सकती है कि यदि कोई पक्षकार किसी न्यायालय में कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ कर पेश करता है। अपील के तथ्य जाब्ता दीवानी के आदेश 6 नियम 1 के तहत मात्र Pleading है, साक्ष्य नहीं है और न ही अपील में कोई साक्ष्य होती है। इस कारण जब कोई साक्ष्य ही नहीं है तो धारा 340 सीआरपीसी लागू ही नहीं होती।

(ii) दूसरा , यहां यह अंकित करना भी आवश्यक है कि जिस शपथ पत्र दिनांकित 21.08.2012 को प्रार्थी द्वारा सही होना बता रहा है और उस पर वन्दना गौड़ के हस्ताक्षर सही होना बता रहा है, इस सन्दर्भ में लेख है कि वन्दना गौड़ द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली , श्रीगंगानगर में प्रार्थी धीरेन्द्र कुमार व अन्य के विरूद्व दर्ज करवाई जिसमें उक्त शपथ पत्र पर वन्दना गौड़ के हस्ताक्षरों की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से करवाई गई और जिनके द्वारा वन्दना गौड़ के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हस्ताक्षरों को कूटरचित होना बताया तथा उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी व अन्य को मुल्जिम मानते हुए गिरफ्तार किया गया जिनकी जमानत सम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से हुई। इस तथ्य से प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित है कि वन्दना गौड़ द्वारा जो शपथ पत्र दिनांक 21.08.2012 के आधार पर अपनी अपील में तथ्य अंकित किए थे वह सही अंकित किए थे, जब स्वयं प्रार्थी ने ही कूटरचना की है तो उसे धारा 340 सीआरपीसी के तहत अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जब कोई धारा 195, आई.पी.सी. के तहत कोई झूठी साक्ष्य ही नहीं गढ़ी गई तो ऐसी स्थिति में धारा 340 सी.आर.पी.सी. के तहत कोई कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः धीरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर ही निरस्त फरमाया जावें।

लिखित बहस दिनांक 26.09.2025 प्रार्थी धीरेन्द्र कुमार शर्मा की ओर से निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

(i) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 उस अदालत को यह क्षेत्राधिकार/अधिकार देती है जिसके समक्ष चली कार्यवाही में किसी व्यक्ति ने झूठे साक्ष्य दिए है या झूठे दस्तावेज पेश किए है या न्यायालय को गुमराह करने का कृत्य या कोशिश की है कि वह न्यायालय अपने समक्ष उक्त मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या दस्तावेज देने व गुमराह करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करें।

(ii) सीआरपीसी सैक्सन 340 स्पष्टतः निर्दिष्ट करती है कि वह न्यायालय हमारे द्वारा निमित्र (प्रस्तुत) प्रार्थना पत्र/प्रकरण पर विचार कर (या अन्यथा (अर्थात स्वतः प्रसंज्ञान भी)) इस प्रकरण में धारा 195 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध के इस न्यायालय में की कार्यवाही के किसी प्रक्रम में पाए जाने की जांच करें और तत्पश्चात अर्थात कथन , शपथ पत्र मिथ्या कथन, या साक्ष्य में मिथ्या कथन या साक्ष्य में मिथ्या दस्तावेज पाए जाने पर अभियुक्त विरूद्व अग्रिम कार्यवाही करें।

(iii) चूंकि सैक्सन 195(1) के खण्ड (ख) में वर्णित शब्द ''न्यायालय'' में कोई सिविल ,राजस्व या दण्ड न्यायालय और विधि अधीन गठित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कोई अधिकरण शामिल है अर्थात यह न्यायालय (एडीएम प्रशा.) भी है। चूंकि सैक्सन 195(3) सीआरपीसी मुताबिक

(i) इस न्यायालय अर्थात एडीएम प्रशासन के समक्ष आए अपील प्रकरण संख्या 47/2019 में अपीलांट वन्दना गौड़ द्वारा सीआरपीसी 195(1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आईपीसी धाराओं में वर्णित अपराध का किया जाना (शपथ पत्र मिथ्या कथन व न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश करते/कृत्य) मुँह बोलते तथ्य (रेस इस्सा लोक्यूटर) है, जिनको मजबूत दस्तावेजी व मौका साक्ष्य स्वतः सिद्व करते है।

(ii) उपरोक्त तथ्यों के मद्धेनजर इस माननीय न्यायालय (एडीएम प्रशासन, श्रीगंगानगर) में चली प्रक्रिया में अपीलांट वन्दना गौड़ द्वारा सीआरपीसी 195(1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अपराध कारित किए जाने पर इसी न्यायालय के पास हमारे परिवाद पर कार्यवाही प्रारम्भ करने का क्षेत्राधिकार है।

(iii) आपके क्षेत्राधिकार में अन्तर्गत सीआरपीसी सैक्शन 340 अग्रिम कार्यवाही कर कृतार्थ करें।

लिखित बहस दिनांक 18.02.2026 प्रार्थी धीरेन्द्र कुमार शर्मा की ओर से निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः—

(i) उक्त सन्दर्भित प्रकरण में अभि का प्रक्रम (stage) सिर्फ क्षेत्राधिकार निर्णित करने का है।

(ii) प्रकरण की विषय वस्तु सीआरपीसी 195(1) के खण्ड (ख) में वर्णित आई.पी.सी. की धाराओं 193,196,199,200,209,211 आदि कवर करती है।

(iii) प्रकरण/प्रा.प. में उभरे तथ्यों की जांच का दायित्व सैक्शन 340 सीआरपीसी माननीय न्यायालय को ही देती है

(iv) अतः प्रकरण के प्रा.प. में उभरे तथ्यों व दस्तावेजों की जांच हेतु अग्रिम प्रक्रम चलाया जाना न्यायहित में होगा। आगे के प्रक्रम शुरू कर कृतार्थ करें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया ।

इस न्यायालय की निर्णित अपील प्रकरण संख्या 47/2019 से अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2012 निरस्त किया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त अपील प्रकरण में किसी प्रकार के तथ्यों की/दस्तावेजों की जांच नहीं की गई, क्योंकि अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन कर निर्णय गुणदोष के आधार पर पारित किया जाता है। अपील के तथ्य जाब्ता दीवानी के आदेश 6 नियम 1 के तहत मात्र Pleading है, साक्ष्य नहीं है और न ही अपील में कोई साक्ष्य होती है। इस कारण जब कोई साक्ष्य ही नहीं है तो धारा 340 सीआरपीसी लागू ही नहीं होती।

जहां तक वन्दना गौड अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांकित 21.08.2012 जो कि इस न्यायालय के अपील प्रकरण में उसके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। उक्त शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष वसीयत प्रकरण की सुनवाई में पेश किया गया है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट वन्दना गौड़ द्वारा पुलिस थाना कोतवाली , श्रीगंगानगर में प्रार्थी धीरेन्द्र कुमार व अन्य के विरूद्व दर्ज करवाई होना अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है, जिसमें उक्त शपथ पत्र पर वन्दना गौड़ के हस्ताक्षरों की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से करवाई गई और जिनके द्वारा वन्दना गौड़ के हस्ताक्षरों को कूटरचित होना बताया गया है, यानि वन्दना गौड के उक्त हस्ताक्षर होना नहीं पाया गया।

निष्कर्षतः, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 340 सी.आर.पी.सी में वर्णित तथ्य इस न्यायलय के निर्णत अपील प्रकरण संख्या 47/2019 अनवानी वन्दना गौड बनाम अजयपाल वगैरा निर्णय दिनांक 31.05.2024 पर लागू होने नहीं पाये जाते है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 340 सी.आर.पी.सी. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner